राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–लेखा–18 / वि.जां. / 2024–25 / दिनांकः

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
झुन्झुनूं।

विषयः–निरीक्षण विभाग के विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना के संबंध में।

संदर्भः–निदेशालय के पत्रांक 594 दिनांक 22.05.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा निरीक्षण विभाग के विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों को गंभीरता से लेते हुये बकाया अनुच्छेदों की नियमानुसार कार्यवाही कर अनुपालना अविलम्ब प्रेषित करने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में आपकों दिनांक 27.06.2024 को अनुपालना सहित व्यक्तिशः उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था लेकिन आपका उपस्थित न होना अत्यन्त गंभीर एवं चिंताजनक है साथ ही राजकार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को भी दर्शाता है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 18 जून 2024 को प्रातः 10:30 बजे आपके निम्नांकित प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना (निर्धारित प्रारूप में) एवं उक्त दिनांक को उपस्थित न होने के स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करते हुए वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अन्यथा **अनुपालना प्राप्त न होनें की स्थिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग / शासन सचिव (वित्त) (व्यय) विभाग द्वारा लिये जाने वाले किसी भी अप्रिय निर्णय (अनुशासनात्मक कार्यवाही) के लिये आप स्वंय व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।** अपूर्ण और अस्पष्ट (Vague) अनुपालना स्वीकार नहीं की जायेगी।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रतिवेदन संख्या	बकाया आक्षेपों की संख्या
1.	CMHO झुन्झुनू	42 / 1995–96	7(अ,ब,स),8,
		31(i) / 1997–98	1,4,5,6,8,9,11,12,18,21,30,32,33,35,39
2.	Block PHC बहादुरबास	31(3) / 1997–98	3,6,17(क,ख)

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवायें
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–लेखा–18 / वि.जां. / 2024–25 / 849-53 दिनांकः 10/6/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त शासन सचिव, (वित्त) अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवायें
राजस्थान,जयपुर

E:\Letter Spical audit 2022-23.docx